न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : गुण्डा एक्ट 01/2015/नागौर (2015/00002)

दिलावर खॉ पुत्र गुलाम मोहम्मद जाति सिपाही मुसलमान निवासी बिच्चलाबास पुलिस थाना कोतवाली जिला नागौर।

—**अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, नागौर।

—— **प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 6 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर दिनांक 5—6—2015 मुकदमा नम्बर 3/2012 सरकार बनाम दिलावर खान

————

उपस्थितः 1— श्री गिरीश पारीक़ अभिभाषक अपीलार्थी
2— श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 05—07—2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक नागौर ने सहायक लोक अभियोजक नागौर के माध्यम से अपीलार्थी दिलावर खां पुत्र श्री गुलाम मोहम्मद निवासी बिच्चलाबास जिला नागौर के विरूद्ध एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत पेश कर अवगत कराया कि अपीलार्थी जिला नागौर का जुआरी है जिसकी आम शोहरत खराब है तथा जुआ सट्टा खाईवाली करते हुए बार—बार पकड़ा गया है जिसके विरूद्ध जुआ सट्टा के कई प्रकरण दर्ज किये जाकर न्यायालय में पेश किये गये है। किन्तु अपीलार्थी की आपराधिक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई है तथा वर्ष 1993 से 2011 तक जुआ सट्टा की गतिविधियों में निरन्तर सक्रिय है। अपीलार्थी द्वारा नागौर शहर के आस—पास के इलाकों में दहशत व आतंक फैलाने के कारण जिला नागौर में इसका स्वच्छंद विचरण करना व निवास करना उचित नहीं है। जिसका निष्कासन किया जाना ही एकमात्र विकल्प है। अपीलार्थी का कृत्य धारा 2(ख)(i) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः अपीलार्थी को उक्त अधिनियम के तहत जिला नागौर से निष्कासित करने हेतु निवेदन किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर ने अपने आदेश दिनांक 5—6—2015 के द्वारा अपीलर्थी को उक्त अधिनियम

के तहत जिला नागौर से छः माह तक निष्कासित करने के साथ जिला बाडमेर के बालोतरा थाने में अपनी गतिविधियों को दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 3(3) क तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया जिसने अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया कि उसके खिलाफ प्रकरण गलत शुरू किया गया था । अपीलार्थी के खिलाफ व्यक्तिगत शिकायत के संबंध में कथन किया कि जिला नागौर के किसी भी नागरिक द्वारा अपलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई है और वह अपने परिवार के साथ अपने घर में शांतिपूर्वक रहता है। अपीलार्थी जुआ खेलने का आदतन अपराधी नहीं था। धारा 2 बी (5) के अनुसार गुण्डा का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसे राजस्थान सार्वजनिक जुंआ अध्यादेश 1949 के तहत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो, वर्तमान में उक्त प्रकरण में व्यक्तिगत शिकायतों के कारण अपीलार्थी के खिलाफ झूठे मामले शुरू किये गये थे इसलिए अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी स्वयं व अपने साथियों के साथ मौका पाकर उकसाता नहीं है और न ही निजी स्वार्थवश आदतन समाज कंटक, शातिर किस्म का अपराी है। अपीलार्थी पर शराब तस्करी एवं झगड़ा फसाद का सरगना बनने का आरोप गलत है। अपीलार्थी की आपराधिक गतिविधियों से क्षैत्र की आम जनता को कोई नाराजगी नहीं है। वर्तमान मे अपीलार्थी के विरूद्ध मारपीट, शांतिभंग आदि के कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। विचाराधीन प्रकरण झूठा दर्ज करवाया गया है जिसमें अपीलार्थी को अपराधी मानना किसी भी प्रकार से न्यायसंगत नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध जिला नागौर वालों की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध जारी नोटिस में ऐसे किसी व्यक्ति का उल्लेख नहीं है जिसको अपीलार्थी से कोई शिकायत हो। अपीलार्थी वर्तमान में शांति से जिन्दगी व्यतीत कर रहा है और समाज में किसी प्रकार से व्यवधान, दंगा आदि नहीं करता है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण गलत दर्ज किया गया है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान लोक गेम्बलिग अधिनियम 1949 की धारा 13 के तहत प्रकरण शुरू किये गये थे लेकिन वर्तमान में अपीलार्थी अपने घर में ताश खेलता हुआ पाया गया जो कि आर.पी.जी.ओ की धारा 13 के अपराध के तहत नहीं आता है। इसलिए अपीलार्थी के खिलाफ सजा

को रद्द किया जाना चाहिए और अपीलार्थी ने आपराधिक अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं किया है और अपने घर में शांति से रह रहा है इसलिए गुण्डा एक्ट की परिभाषा के तहत नहीं आता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–6–2015 निरसत किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी आदतन जुआरी है जिसके विरूद्ध धारा 2(ख)(5) के अन्तर्गत 26 बार दोष सिद्ध किया जा चुका है। तथा स्वयं के आर्थिक फायदे के लिए अन्य व्यक्तियों एवं लोगों की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचने का आदि होने के कारण रजस्थान गुण्डा अधिनियमा की धारा 2(ख) के तहत गुण्डा की परिभाषा में आता है। अपीलार्थी से नागौर जिले एवं आस–पास के क्षैत्र में दहशत व आतंक फैला हुआ है जिसके खुले में विचरण करने से समाज के कमजोर वर्ग के लोग आर्थिक संकट में पड सकते है तथा सामाजिक मूल्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अपीलार्थी आपराधिक प्रवृति का होने एवं लोगों में दहशत रहने के कारण जिला नागौर में स्वचछन्द विचरण करना व निवास करना उचित नहीं होने से अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवही कर जिला नागौर से छः माह तक निष्कासन करने का आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला पुलिस अधीक्षक नागौर ने सहायक लोक अभियोजक नागौर के माध्यम से अपीलार्थी दिलावर खां पुत्र श्री गुलाम मोहम्मद निवासी बिच्चलाबास जिला नागौर के विरूद्ध एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत पेश कर अवगत कराया कि अपीलार्थी जिला नागौर का जुआरी है जिसकी आम शोहरत खराब है तथा जुआ सट्टा खाईवाली करते हुए कई बार पकड़ा गया है जिसके विरूद्ध जुआ सट्टा के कई प्रकरण दर्ज किये जाकर न्यायालय में पेश किये गये है। किन्तु अपीलार्थी की आपराधिक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई है तथा वर्ष 1993 से 2011 तक जुआ व सट्टे की गतिविधियों में निरन्तर सक्रिय है। अपीलार्थी नागौर शहर के आस–पास के इलाकों में दहशत व आतंक फैलाने का आदि रहा है।

राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) के तहत गुण्डा की परिभाषा दी गई है जिसके तहत ऐसा व्यक्ति जो स्वयं या किसी गैंग का सदस्य या मुख्या के रूप में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अधीन दण्डनीय अपराधों के कमीशन अभ्यासतः कारित करता है, या कारित करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरण करता है या महिलाओं और लड़किया के अनैतिक व्यवसाय का उन्मूलन अधिनियम, 1956 के अधीन दोष सिद्ध किया गया हो अथवा राजस्थान आबकारी

अधिनियम 1950 के अधीन दो से अन्यून बार दोषसिद्ध किया गया हो अथवा अफीम अधिनियम 1878 के अधीन दो से अन्यून बार दोषसिद्ध किया गया हो अथवा राजस्थान सार्वजनिक जुआ अध्यादेश 1949 के अधीन दो से अन्यून बार दोष सिद्ध किया गया हो अथवा महिलाओं या लड़कियो को अभ्यासतः अशिष्ट टिप्पणी करता हो या छेड़ता हुआ पाया गया हो अथवा हिंसात्मक कार्यो या बल प्रदर्शन द्वारा विधि पालक लोगो को अभित्रासित करने का अभ्यासी पाया गया हो अथवा जो सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने या बलवा करने का अभ्यासी हो या बलपूर्वक चन्दे का संग्रहण करने का या अवैध आर्थिक फायदे के लिए लागों के धमकी देने का अभ्यासी हो या जो व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति का संत्रास, खतरा या नुकसान करने का अभ्यासी हो। उक्त आधार पर अपीलार्थी आदतन जुआरी प्रतीत हेता है। जो धारा 2 (ख) (5) के अनुसार 26 बार दोष सिद्ध चुका है तथा अपने स्वयं के आर्थिक फायदे के लिए अन्य व्यक्तियों एवं लोगों की सम्पत्ति के खतरा या नुकसान पहुचाने की दृष्टि से आपरधिक प्रवृति का होने से राज0 गुण्डा अधिनियम की धारा 2 (ख) के तहत गुण्डा की परिभाषा में आता है।

अपीलार्थी के उक्त कृत्य से नागौर व आस–पास के क्षैत्र में दहशत व आतंक फैला हुआ है तथा अपीलार्थी के स्वच्छन्द विचरण करने से समाज के कमजोर वर्ग के लोग आर्थिक संकट में पड़ सकते है तथा सामाजिक मूल्यों पर विपरीत प्रभाव पडने के दृष्टिगत अपीलार्थी का जिला नागौर में स्वच्छन्द विचरण करना व निवास करना कतई उचित नहीं होने के कारण जिला नागौर से निष्कासन का निर्णय लिया है। इस प्रकार आदतन अपराधियों को गैर कानूनी गतिविधियां संचालित करने, आस–पास के क्षैत्र में दहशत व आतंक फैलाने के कारण राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत अपीलार्थी को जिला निष्कासित किया जाकर जिला बाडमेर के बालोतरा थाने में अपनी गतिविधियों को दर्ज कराने के आदेश पारित किये है जो उचित है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–06–2015 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) नागौर का आदेश दिनांक 05–06–2015 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर